न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ वब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 24/2025 जीसीएगएरा प्र0स0 – 2025/143 दायर दिनांक 07.08.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
——आवेदक

बनाग

1. श्री विनय नागपाल पुत्र श्री राजकुगार नागपाल (विक्रेता व गालिक), वार्ड न. 10 करणी गाता गन्दिर के पास जैतरार
   गै0 जेबीआर रौल्स (गोदाम), जेबीआर रोल्स प्लॉट न.–58 ऐ ब्लॉक गणेश प्लाजा, 1 जीबी (ए) जैतरार
2. श्री विनय कुगार गिडढा पुत्र श्री सोहनलाल गिडढा (प्रोपराईटर), निवारी मकान न. 2–बी 37, वार्ड न. 1 आदर्श कॉलोनी अनूपगढ श्रीगगानगर
   गै0 जगदम्बा इन्डरट्रीज एफ–2 रिको इन्डरट्रीयल ऐरिया फेज–2 अनूपगढ़
3. श्री इन्द्रजीत कोचर पुत्र कालाराग (प्रोपराईटर), निवासी 1/279 हाऊसिंग बोर्ड वार्ड न. 45 श्रीगंगानगर,
   गै0 इन्द्रजीत इन्टरप्राईजेज, रविदारा नगर नजदीक रवि दास गन्दिर वार्ड न. 58 जिला श्रीगंगानगर
——अभियुक्तगण

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं गानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/52

दिनांकः–11.05.2026

:: निर्णय ::

1. यह परिवाद आवेदक श्री हेतराग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/52 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कमांक–प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप–3–2023 दिनांक 1.10.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कगांक आयुक्ता खासुऔनि/संस्था/2024/2098 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.04.2025 को समय दोपहर 11.00 ए.एग. बजे मैसर्स–जे.बी.आर. सैल्स (गोदाम), जे.बी.आर. सेल्स प्लॉट नं–58, ऐ ब्लॉक गणेश प्लाजा, 1 जी बी –ऐ, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर पर पहुँचा। मौके पर उपस्थित श्री विनय नागपाल पुत्र श्री राजकुमार नागपाल को अपना परिचय दे कर संस्थान का निरिक्षण कर संस्थान में रखें 50 कार्टुन (प्रत्येक में 12 बोतल) खाद्य पदार्थ READY TO SERVE FRUIT BEVERAGE (MANGO DRINK) (MANAN BRAND) के बारे मे जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान में रखे 50 कार्टून (प्रत्येक मे 12 बोतल) खाद्य पदार्थ READY TO SERVE FRUIT BEVERAGE (MANGO DRINK) (MANAN BRAND) बोतल पैक को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। मुझे इसी खांद्य पदार्थ READY TO SERVE FRUIT BEVERAGE (MANGO DRINK) (MANAN BRAND) में मिलावट व गुणवत्ताहीन का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म 5–ए भरकर दिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5–ए की प्रतियां तैयार कर मालिक एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विनय नागपाल पुत्र श्री राजकुमार नागपाल (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री विनय नागपाल पुत्र श्री राजकुमार नागपाल (विक्रेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ 50 कार्टून (प्रत्येक में 12 बोतल) READY TO SERVE FRUIT BEVERAGE (MANGO DRINK) (MANAN BRAND) मे से 01 लीटर X 4= 4 लीटर मूल बोतल पैक को मालिक से खरीद कर लिया। मालिक व विक्रेता [illegible] उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ READY TO SERVE FRUIT BEVERAGE (MANGO DRI[illegible] (MA[illegible] BRAND) का नगद भुगतान 240 रूपये किया तथा केशगीमो बनवाकर [illegible] गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरी[illegible] खाद्य पदार्थ READY TO SERVE FRUIT

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़
96

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 17:00:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

BEVERAGE (MANGO DRINK) (MANAN BRAND) को चार मूल बोतल पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–2790 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक व विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2790 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विनय नागपाल पुत्र श्री राजकुमार नागपाल (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक क्रमांक/ एफएसएसए/ 2025/680–82 दिनांक 20.05.2025 के अनुसार मालिक एवं विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ READY TO SERVE FRUIT BEVERAGE (MANGO DRINK) (MANAN BRAND) का नमूना जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस..540/एक्ट/2025/540 दिनांक 07.05.2025 को मिसब्रांडेड फूड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है व इसी पत्रांक द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनय नागपाल पुत्र श्री राजकुमार नागपाल (विक्रेता व मालिक) को भी जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच कर आवेदन फार्म 8 में रिपार्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। श्री विनय नागपाल पुत्र श्री राजकुमार नागपाल (विक्रेता व मालिक) ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। श्री विनय नागपाल पुत्र श्री राजकुमार नागपाल (विकेत्ता व मालिक), ने दिनांक 02.06.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मैसर्स जगदम्बा इन्डस्ट्रीज, एफ–2, रिको इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, फेज–2, अनूपगढ, जिला–श्रीगंगानगर से बिल नं–न–00146 दिनांक 19.04.2025 द्वारा माल खरीद बिल की प्रमाणित प्रति और उक्त फर्म के दस्तावेज प्रस्तुत किये है। डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक क्रमांक/ एफएसएसए/2025/749–751 दिनांक 02.06.2025 से मैसर्स जगदम्बा इन्डस्ट्रीज, एफ–2, रिको इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, फेज–2, अनूपगढ, जिला–श्रीगंगानगर को पत्र द्वारा फर्म के दस्तावेज और माल खरीद बिल मांगने पर दिनांक 10.06.2025 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्री विनय कुमार गिडढ़ा पुत्र श्री सोहन लाल गिडढा (प्रोपराइटर), मैसर्स जगदम्बा इन्डस्ट्रीज, एफ–2, रिको इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, फेज–2, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर ने अपनी फर्म के दस्तावेज और माल खरीद बिल फर्म इन्द्रजीत इन्टरप्राईजेज, रवि दास नगर, नजदीक रवि दास मन्दिर वार्ड नं–58, जिला–श्रीगंगानगर से बिल न जीएसटी/74 दिनांक 08.04.2025 द्वारा खरीद बिल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये है। डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक क्रमांक/एफएसएसए/2025/770–72 दिनांक 12.06.2025 के द्वारा मैसर्स इन्द्रजीत इन्टरप्राईजेज, रवि दास नगर, नजदीक रवि दास मन्दिर वार्ड नं–58, जिला–श्रीगंगानगर को फर्म के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया है। दिनांक 24.07.2025 को मैसर्स इन्द्रजीत इन्टरप्राईजेज, रवि दास नगर, नजदीक रवि दास मन्दिर वार्ड नं–58, जिला–श्रीगंगानगर के द्वारा फर्म के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की एंव माल खरीद बिल प्रस्तुत नही किया। फर्म द्वारा प्रार्थना पत्र फर्म इन्द्रजीत इन्टरप्राईजेज, रवि दास नगर, नजदीक रवि दास मन्दिर वार्ड नं–58, जिला–श्रीगंगानगर को अन्तिम पार्टी बनाकर जल्द प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध [illegible] अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनाक 25.07.2025 के साथ मूल पत्रावली वास्ते [illegible] स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं गुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केश में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ[illegible]/2025/920–27 दिनांक 28.07.2025 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। प्रकरण में श्री विनय नागपाल पुत्र श्री राजकुमार नागपाल (विक्रेता

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 17:00:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

व मालिक), वार्ड नं–10, करणी माता मन्दिर के पास, जैतसर, श्रीगंगानगर, गैसर्स जे.बी.आर सेल्स (गोदाम), जे.बी.आर सेल्स प्लॉट नं–58, ऐ–ब्लॉक गणेश प्लाजा, 1 जीबी–ऐ, जैतसर, जिला–श्रीगंगानगर एवं श्री विनय कुमार मिडढा पुत्र श्री सोहन लाल गिडढा (प्रोपराइटर), निवासी मकान नं–2–बी 37, वार्ड नं–01, आदर्श कॉलोनी, अनुपगढ़, श्रीगंगानगर, गैसर्सः जगदम्बा इन्डस्ट्रीज, एफ–2, रिको इन्डस्ट्रीयल ऐरिया फेज–2, अनूपगढ, जिलाः श्रीगंगानगर ने मिसब्रांडेड फूड खाद्य पदार्थ READY TO SERVE FRUIT BEVERAGE (MANGO DRINK) (MANAN BRAND) का विक्रय करके एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा–52 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता/निर्माता को नियमानुसार आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जायें। ताकि जनहित में अमानक स्तर मिसब्रांडेड फूड के खाद्य पदार्थो का विक्रय रोका जा सके।

3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष बिश्नोई हाजिर आये। अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि हम अप्रार्थीगण खाद्य पदार्थ READY TO SERVE FRUIT BEVERAGE (MANGO DRINK) (MANAN BRAND) का कार्य करते है। अप्रार्थीगण को कतई ज्ञान नही था की उक्त नमुना जांच वास्ते खाद्य पदार्थ का सेम्पल लिया जा रहा है। उक्त ड्रिंक की मैन्युफेक्चरिंग अप्रार्थीगण के द्वारा नहीं की जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ड्रिंक का बैचान एक्सपायरी इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है। खाद्य निरीक्षक का मिसब्रांडेड फूड विक्रय करने का लगाया गया आरोप निराधार व मनगढ़त है तथा अप्रार्थीगण की प्रतिष्ठा को धुमिल करने के लिए बिना नियमानुसार जांच के बैबुनियाद आरोप लगाया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त READY TO SERVE FRUIT BEVERAGE (MANGO DRINK) (MANAN BRAND) खरीद कर आगे बैचान के लिए अपने गोदाम मे रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई मैन्यूफक्चरिंग नहीं की जाती है। आवेदक द्वारा लिये गये नगूना के–2790 की जानकारी अप्रार्थीगण को नही थी। अगर अप्रार्थीगण को इसकी जानकारी होती तो अप्रार्थी इसकी गुणवता की जांच प्राईवेट लेबोरेट्री से करवाते उक्त ब्राण्ड की गुणवता का सही ज्ञान हो जाता। खाद्य विश्लेषक बीकानेर की जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना Misbranded food पाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि नमूने में किसी प्रकार के गन्दे, दूषित, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले अस्वास्थ्यकारक पदार्थ की किसी प्रकार की मिलावट नही हैं। उक्त नमूना Misbranded food पाया गया है। एफएसएसए की धारा 3 (ZX) के अनुसार Misbranded food अवमानक की परिभाषा है कि अवमानक से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जावेगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानको को पूरा नही करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नही होता है। अप्रार्थी का प्रकरण उपरोक्त परिभाषा में नही आता है। अप्रार्थीगण का उत्पाद उक्त READY TO SERVE FRUIT BEVERAGE (MANGO DRINK) (MANAN BRAND) गुणवता के मानदण्डों पर उच्च गुणवता का हैं प्रार्थी द्वारा जांच रिपोर्ट के पश्चात बिक्री किये गये समान पर किसी प्रकार कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिससे जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा हो। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जावे व अप्रार्थीगण को राहत प्रदान की जावे।

4. हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषयक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर की रिपोर्ट संख्या/एलएस/540/एक्ट/2025/540/दिनांक 07.05.2025 में उक्त नमूना MISBRANDED FOOD पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा MISBRANDED FOOD का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्तगण श्री विनय नागपाल, श्री विनय कुमार मिढ़ा, श्री इन्द्रजीत कोचर को राशि 25000/– (पचीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 17:00:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner